निर्णय ब इजलास डॉ॰ जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 590/2025 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

जमना देवी पत्नी भगवान सहाय, निवासी ग्राम टोडा मीणा, तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. पीठासीन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़, जिला जयपुर।
2. कल्याण सहाय पुत्र बिरदा, निवासी ग्राम टोडामीणा, तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

जिला कलक्टर जयपुर जिला, जयपुर

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़, जिला जयपुर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 03/2024 ब–उनवानी कल्याण बनाम जमना व अन्य को अन्यत्र स्थानान्तरण किये जाने।

उपस्थितः–

1. श्री राजकुमार शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री सचिन शर्मा, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से।

निर्णय दिनांक 11.11.2025

संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़, जिला जयपुर के समक्ष प्रकरण संख्या 03/2024 ब–उनवानी कल्याण बनाम जमना व अन्य विचाराधीन है, जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर प्रार्थी ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण करने का निवेदन किया है।

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़, जिला जयपुर से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से श्री सचिन शर्मा, अभिभाषक ने वकालतनामा पेश किया।

बहस उभय पक्ष सुनी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक अपील अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम विचाराधीन है। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा उक्त अपील मियाद बाहर पेश की गई थी, प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त अपील की देरी के संबंध में मियाद अधिनियम धारा 5 का जवाब पेश किया गया, जिसके बावजूद भी बिना मियाद के संबंध में कोई युक्तियुक्त कारण अंकित किए बिना ही दिनांक 10.07.2025 को उक्त प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार कर लिया गया। दिनांक 10.07.2025 से पूर्व दिनांक 06.06.2025 एवं दिनांक 19.06.2025 को पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रार्थी के अधिवक्ता को कहा गया कि मियाद अधिनियम धारा 5 पर बहस कर दे क्योंकि उक्त पत्रावली में वर्तमान एमएलए का अप्रार्थी संख्या 2 रिश्तेदार है तथा उक्त पत्रावली को लेकर बार–बार एमएलए के फोन भी आ

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

रहे है, इसलिए मुझे उक्त पत्रावली का निस्तारण जल्द करना है। फलस्वरूप दिनांक 10.07.2025 को मियाद बाहर अपील को स्वीकार किया गया। प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के उक्त कृत्य व मियाद बाहर अपील को स्वीकार करने पर शंका कारित हुई की पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या 2 के राजनैतिक प्रभाव के चलते अपील में अप्रार्थी के पक्ष में निस्तारण करने पर आमादा है तथा प्रकरण में प्रार्थी के विरूद्ध फैसल करने पर भी आमादा है। इसलिए उक्त प्रकरण को न्यायहित में मुन्तकिल किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का अनुरोध किया है।

5. अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसम्मत कार्यवाही की जा रही है। प्रार्थी ने प्रकरण का निस्तारण में विलम्ब किये जाने की मंशा से काल्पनिक, मिथ्या व मनगढ़न्त आरोप लगा कर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः इस मुन्तकिल प्रार्थना को खारिज फरमाया जावे।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़, जिला जयपुर से प्राप्त टिप्पणी में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित कथनो का खण्डन किया है। प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपो के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। प्रार्थी के केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो सही नहीं है। मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नहीं है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे उक्त प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

8. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़, जिला जयपुर को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

9. निर्णय आज दिनांक 11.11.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner